संख्या-579**/202**6**/**1360**/41-1-202**6-सी**0**एन**0-2036798/2026**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक** 30 **मार्च**, **2026**

विषय:-जनपद सीतापुर नैमिषारण्य में संचालित विभिन्न परियोजनाओं पर जीएसटी की धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0-7306/6-1-1/मै0धा0ती0वि0प0(339)/2023,दिनांक 29.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद सीतापुर नैमिषारण्य में पर्यटन विभाग द्वारा संचालितविभिन्न परियोजनाओं की जीएसटी की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में जनपद सीतापुर नैमिषारण्य में पर्यटन विभाग द्वारा संचालितविभिन्न परियोजनाओं पर जीएसटी की कुल धनराशि रू0 1212.69लाख (रूपये बारह करोड़ बारह लाख उनहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखितशर्तो के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	**परियोजना का नाम**	**मद संख्या**	**कार्यदायी संस्था का नाम**	**परियोजना की लागत**	**जीएसटी की मांग**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	जनपदसीतापुर स्थित नैमिषारण्य तीर्थ में 84 कोसी परिक्रमा मेले के प्रथमपड़ाव ग्राम कैरोना में सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य।	47	उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0	891.41	121.65
2	जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में ललिता देवी मंदिर के निकट तीर्थ यात्रा सुविधा परिसर के निर्माण कार्य।	47	उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0	1522.92	192.98
3	जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण तीर्थ में सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास का निर्माण कार्य।	47	उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0	610.62	82.57
4	जनपद सीतापुर के नैमिषारण में ललिता देवी मंदिर के निकट पंचमुखी प्लाजा एवं अन्य कार्यो का निर्माण।	47	उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0	1539.00	310.56
5	जनपद सीतापुर के नैमिषारण में चक्रतीर्थ कुण्ड काम्पलेक्स का निर्माण कार्य।	47	उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0	2270.30	304.09
6	जनपद सीतापुर के नैमिषारण में चक्रतीर्थ इन्ट्रेस प्लाजा का निर्माण कार्य।	47	उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0	896.02	123.01
7	जनपदसीतापुर स्थित नैमिषारण्य तीर्थ में गोमती नदी के तट पर राजघाट एवंदशाश्वमेघ घाट के मध्य उपलब्ध खाली भूमि पर घाट का निर्माण कार्य।	47	उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0	493.49	63.93
8	जनपदसीतापुर में रेलवे क्रासिंग एवं निरीक्षण भवन के मध्य स्थित पर्यटन विभागकी भूमि पर प्रीकास्ट बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	47	उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0	102.63	13.90
			कुल योग:-		**1212.69**

(1) प्रश्नगत परियोजनाओं के संबंध में निर्गत सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित कर लिया गया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) परियोजनाओं पर अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जीएसटी जमा होने की पुष्टि महानिदेशक, पर्यटन एवं संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा करा कर एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व में जीएसटी की धनराशि संबंधितपरियोजनाओं पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त नहीं की गयी है। यदि जीएसटीकी धनराशि अवमुक्त की गयी हो तो उसका समायोजन करते हुए धनराशि कार्यदायीसंस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) परियोजनाओं की स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही अनुमन्य जीएसटी के सापेक्ष जीएसटी धनराशि की गणना अवश्य कर ली जायेगी।

(5) जीएसटी मद में भुगतान की गयी धनराशि पर यदि ब्याज अर्जित होता है, तो तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा किकिसी भी दशा में परियोजनान्तर्गत जीएसटी की अनुमन्य धनराशि से अधिकधनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को नहीं किया जायेगा।

(7) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को नहीं उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-353/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत परियोजनाओं में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(12) प्रश्नगत परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

(13) प्रश्नगत परियोजनाओं में निर्माण कार्य की गुणवत्ता,मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(14) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(15) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) परियोजनाओं की अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षारित कराते हुये (तिथि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(17) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(18) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजनाओं की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 12,12,69,000 (रूपये बारह करोड़ बारह लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 लेखा शीर्षक 5452801044700-उ0प्र0 श्री नैमिषारण्य विकास परिषद द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकासमानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-353/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर आयुक्त (ग्रेड-) वाणिज्य कर विभाग, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उपनिदेशक, पर्यटन, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।